न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 55 / 2024 निर्णय दिनांकः– 02-05-2025
(जीसीएमएस संख्या 2024 / 423)

1. अर्जनराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी दावा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. कुंभाराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी दावा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. रामूराम पुत्र फरसाराम जाति मेघवाल निवासी दावा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2024
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2024 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व विभाजन की डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दावा के खेत खसरा नम्बर 772 तादादी 10.98 हेक्टर, खसरा नम्बर 971 तादादी 4.15 हेक्टर कुल तादादी 15.13 हेक्टर भूमि में अपीलांट का 756/1513 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में अंकित है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया तथा ना ही नोटिस की तामील अपीलांट पर करवाई गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने तामिल कुनिंदा से साठगांठ करते हुए अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफा कार्यवाही करवा ली गई। जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना जारी की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का मौके पर कब्जा नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्याायलय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वादगत भूमि के 378/1513 हिस्से के विभाजन का दावा प्रस्तुत कर दिया गया। जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2/वादी से अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही करवाया तथा ना ही दावे को साबित करवाया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दावे को बिना साक्ष्य व सबूत एकतरफा तौर पर वादी का दावा डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के इस कृत्य मात्र से ही यह साबित है कि अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेजा फायदा पहुंचाने की गरज मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष यदि वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अधीनस्थ न्यायालय को राज्य सरकार से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वादगत भूमि की मौके व रिकोर्ड की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध जो एकतरफा कार्यवाही की गई है उक्त कार्यवाही सरासर गलत है क्योंकि किसी भी पक्षकार की तामील यदि साधारण समन द्वारा करवाई जाती है तो उसकी राशि 17 रूपये होती है जो तामील अथवा अदम तामील प्राप्त होने पर रजिस्टर्ड समन जारी किया जाता है जिसकी निर्धारित राशि साधारण नोटिस से 3 रूपये ज्यादा होती है एवं यदि रजिस्टर्ड समन की एडी अदम तामील की प्राप्त नहीं होती है तो उसके 30 दिवस के पश्चात एकतरफा कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कुछ नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में कहीं भी प्रतिवादीगण को साधारण समन अथवा रजिस्टर्ड समन भेजे जाने बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। यदि तत्समय अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन—फानन में की गई है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वादगत भूमि में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक व हिस्से की 378/1513 हिस्सा खातेदारी भूमि जिस पर वह काबिज चला आ रहा है, के अनुसार खाता व लगान का विभजान किया जाकर उसके नाम से अलग खाता व लगान

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कायम किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। जिस पर दिनांक 18—08—2023 को प्रतिवादी संख्या 2 ने उपस्थित आते हुए विभाजन के वाद का जवाब दावा पेश किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शेष प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी हेतु समन प्रेषित किये गये मगर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय के समक्ष जान बूझकर उपस्थित नहीं आया जिसके कारण अधीनस्थ न्याायलय ने अपनी आदेशिका दिनांक 14—06—2024 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 आज भी बावजूद रजिस्टर्ड समन तामील के असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट का यह कथन कि उसके नाम से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो रजिस्टर्ड नोटिस की द्वितीय प्रति मय रशीद प्रस्तुत है एवं जहां तक अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने तामील कुनिंदा से साठगांठ की है इस संबंध में जो नोटिस की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है उक्त नोटिस/समन उसी पत्ते पर भिजवाया गया है जो अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्राथमिक डिक्री जारी की है जिसके अभी प्रस्ताव प्राप्त होने शेष है एवं यदि अपीलांट/प्रतिवादी को प्राथमिक डिक्री उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी तक किसी का हिस्सा तय नहीं किया है केवल मात्र प्राथमिक डिक्री जारी की है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत विभाजन के दावे को लम्बित रखने के मकसद से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट केवल मात्र कानूनी पेचिदिगयों से दावा डिक्री नहीं होने देना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के दावे अनुसार न्यायपूर्ण तरीके से खाता विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी गई है। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिकी से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है अर्थात उक्त विभाजन से उनके हितों पर क्या विपरीत

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14—06—2024 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए संबंधित तहसीलदार को वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि एवं वादी व प्रतिवादीगण के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथनकिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट्/प्रतिवादीगण को जवाब व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर वादी के कथनानुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2/वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अदालत मातहत के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 ने उपस्थित आते हुए इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जा चुका था ऐसी स्थिति में विभाजन के वाद में साक्ष्य व सबूत की आवश्यकता नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत भूमि के विभाजन बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्तावों का अवलोकन किया गया, उक्त प्रस्ताव मौके पर स्वयं तहसीलदार द्वारा उपस्थित आते हुए तैयार किये गये है। अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें के अवलोकन से यह साबित होता है कि द्वारा आदेश जैर अपील में विभाजन के सभी आज्ञापक प्रावधानों की पालना/रास्ते के प्रावधानों को शामिल करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी होना शेष है, ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय को आराजी जैर के विभाजन के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है भी तो वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी जैर की अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध में निर्देश दिये जाने उचित पाते है कि यदि अपीलांट् द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री से पूर्व प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो सर्वप्रथम अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14—06—2024 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 02-05-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर